पत्रांक :- 2146 दिनांक :- 27.03.18

दिनांक 20.02.2018 को माननीय मंत्री, परिवहन की अध्यक्षता में संपन्न संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, जिला परिवहन पदाधिकारी एवं मोटरयान निरीक्षक के साथ राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की कार्यवाही-

अध्यक्षता - श्री संतोष कुमार निराला, माननीय मंत्री, परिवहन, पटना ।

उपस्थिति - पंजी के अनुसार

1. राजस्व प्राप्ति की समीक्षा-

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार-

समीक्षा के दौरान पाया गया कि संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव क्षे0 परि0 प्रा0 पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, मुंगेर, पूर्णिया ने राजस्व संग्रहण में अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है । इनके राजस्व संग्रहण पर संतोष व्यक्त करते हुए आगे के माह में भी राजस्व संग्रहण के प्रति इस गति को बरकरार रखने का निदेश दिया गया ।

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षे.परि.प्रा. गया, भागलपुर, एवं छपरा का राजस्व संग्रहण संतोषजनक नहीं है । इन्हे यह भी निदेश दिया गया कि विशेष प्रयास कर हर हालत में लक्ष्य की प्राप्ति करें ।

(अनुपालन-सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षे0परि0प्रा0)

जिला परिवहन पदाधिकारी-

समीक्षा के दौरान पाया गया कि जिला परिवहन पदाधिकारी सुपौल, अरवल, सहरसा, मधुबनी, बांका, अररिया एवं भभुआ ने राजस्व संग्रहण में अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है । इनके राजस्व संग्रहण पर संतोष व्यक्त करते हुए आगे के माह में भी राजस्व संग्रहण के प्रति इस गति को बरकरार रखने का निदेश दिया गया ।

असंतोषजनक प्रदर्शन करने वाले जिले- मुंगेर, जमुई, किशनगंज, खगड़िया, बक्सर, गोपालगंज एवं शिवहर का लक्ष्य के विरूद्ध वसूली अत्यंत ही असंतोषजनक है । इनसे स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया । यह भी निदेश दिया गया कि अतिरिक्त प्रयास कर शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करेगें ।

(अनुपालन-सभी जिला परिवहन पदाधिकारी)

2. शमन की समीक्षा -

(A) क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार-

गया एवं मुंगेर के द्वारा शमन की कार्रवाई नहीं की गई है । यह निराशाजनक है । इनसे स्पष्टीकरण की पूछने का निदेश दिया गया । सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को निदेश दिया गया कि वे शमन संबंधी कार्रवाई करें । अक्सर शिकायतें प्राप्त होती है कि बहुत से वाहन बिना यथोचित परमिट के परिचालित हो रहे है । अभियान चलाकर इस तरह के मामलों की जांच कराई जाय एवं शमन की कार्रवाई की जाय ।

(B) जिला परिवहन पदाधिकारी-

किशनगंज, सुपौल, पटना, समस्तीपुर, जहानाबाद, एवं रोहतास का शमन संबंधी वसूली लक्ष्य से काफी कम है जो असंतोषजनक है । इन जिला परिवहन पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया ।

(C) मोटरयान निरीक्षक-

असंतोषजनक प्रदर्शन करने वाले मोटरयान निरीक्षक - श्री दिव्य प्रकाश, श्री सुजीत कुमार, श्री संजय कुमार टाईगर, श्री कुमार विवेक, श्री मृत्युंजय कुमार सिंह, श्री अनुप कुमार सिंह, श्री पार्थ सारथी, श्री संजय कुमार 33, श्री निशांत कुमार, श्री संजय कुमार, श्री सुनील कुमार सिंह, एवं श्री विनोद कुमार का शमन संबंधी वसूली लक्ष्य से काफी कम है जो असंतोषजनक है । इनसे स्पष्टीकरण पूछते हए अतिरिक्त प्रयास कर लक्ष्य हासिल करने का निदेश दिया गया ।

(अनुपालन-सभी संयुक्त आ0-सह-सचिव क्षे0परि0प्रा0/ सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/सभी मोटरयान निरीक्षक)

3. **जिला परिवहन कार्यालय का निर्माण एवं भूमि की उपलब्धता** -

भोजपुर, किशनगंज, नवादा, शिवहर और जमुई में जिला परिवहन कार्यालय के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध हो गई है । पूर्व में इन जिलों में भवन निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है । भवन निर्माण के लिए भवन निर्माण विभाग को एजेंसी बनाया गया है । सहरसा, औरंगाबाद, मधेपुरा, बक्सर एवं लखीसराय के लिए भवन निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है । लेकिन भवन निर्माण में अपेक्षित प्रगति नहीं है । ज्ञात हो कि सहरसा और औरंगाबाद में भवन निर्माण आई.डी.ए. के द्वारा किया जा जा रहा है एवं अन्य का निर्माण भवन निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है । संबंधित पदाधिकारी एजेंसी से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर कार्य मे प्रगति लाने का प्रयास करेंगे । जहानाबाद एवं गया में वैकल्पिक भूमि का प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है । संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी एजेंसी से संपर्क कर भवन निर्माण कार्य में प्रगति लाने का प्रयास करेंगे । पटना, सिवान, मधुबनी, दरभंगा एवं भागलपुर में परिवहन कार्यालय के निर्माण के लिए भूमि प्राप्त नहीं हुई है । निदेश है कि इन जिलों के परिवहन पदाधिकारी समाहर्ता से संपर्क कर भूमि प्राप्त करने की कोशिश करें ।

परिवहन कार्यालयों को सुसज्जित करने हेतु प्रस्ताव भेजने का निदेश दिया गया ।

(अनुपालन-सभी जिला परिवहन पदाधिकारी)

4. **वे-ब्रीज हेतु भूमि व संचालन-**

बिहटा, ट्रांसपोर्ट नगर, फतुहा का वे-ब्रीज पुल निर्माण निगम द्वारा निर्मित कर जिला परिवहन पदाधिकारी को हस्तांतरित कर दिया गया था । लेकिन वे वर्तमान में अकार्यरत स्थिति में है । जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना इनको परिचालित करने के लिए शीध्र कार्रवाई करें । चेकपोस्ट के पास सरकारी भूमि पर धर्मकांटा स्थापित किये जाने का सुझाव सरकार की उच्चस्तरीय बैठक में दिया गया था । संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी भूमि उपलब्धता के संबंध में आवश्यक पहल जिला प्रशासन से मिलकर करेंगे ।

(अनुपालन-संबंधित सभी जिला परिवहन पदाधिकारी)

5. <u>क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार की बैठक एवं निरीक्षण</u> –

बैठक–

समीक्षा के दौरान स्पष्ट हुआ कि किसी भी क्षे0 परि0 प्रा0 के द्वारा बिहार मोटर वाहन नियमावली, 1992 के नियम 66 के प्रावधान के अनुसार जिसमें प्रत्येक माह परमिट की बैठक की जानी है परमिट संबंधी बैठक नहीं की जा रही है । इससे राजस्व की हानि भी होती है और लोगों को असुविधा भी । निदेश है कि प्रावधान के अनुसर प्रत्येक माह परमिट संबंधी बैठक की जाय ।

निरीक्षण–

क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण नहीं किये जाने से कार्य प्रणाली में दोष की संभावना बनी रहती है । निदेश दिया गया कि सभी सचिव, आर.टी.ए. हर तीन माह पर जिला परिवहन कार्यालयों का विधिवत निरीक्षण करेगे और अपने किये गये निरीक्षण का अनुपालन भी निश्चित अवधि के भीतर सुनिश्चित करायेंगे ।

(अनुपालन–सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षे0परि0प्रा0)

6. <u>आर.सी/डी.एल. बैकलॉग–</u>

सभी जिलों में कुल मिलाकर 261990 आर.सी. कार्ड प्रिंट होने शेष है । जिसे जल्द–से–जल्द निष्पादित करने का निदेश दिया गया । तकनीकी दिक्कतों को दूर किये जाने हेतु NIC को अविलंब Static IP हेतु कार्य करने का निदेश दिया गया ।

(अनुपालन–सभी जिला परिवहन पदाधिकारी)

7. <u>वाहन 4.0–</u>

विगत एक माह में सभी जिलों में वाहन 4.0 लागू कर दिया गया । इस कार्य के लिए सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों की सराहना की गई ।

वाहन 4.0 लागू होने के पश्चात डीलर प्वांइट पर ही गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित हो इस हेतु सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रपत्र में सम्पूर्ण जानकारी भेजे जाने का निदेश दिया गया ताकि User ID एवं Password की कार्रवाई की जा सके ।

(अनुपालन–सभी जिला परिवहन पदाधिकारी)

8. <u>सारथी 4.0–</u>

वर्तमान में औरंगाबाद एवं शेखपुरा जिले के डाटा को सारथी 4.0 में माईग्रेट एवं टेस्टींग का कार्य एन.आई.सी. द्वारा किया जा रहा है । जल्द ही इसे शेष जिलों में भी लागू किया जायेगा ।

(अनुपालन–सभी जिला परिवहन पदाधिकारी)

9. <u>डिलर प्वांईट रजिस्ट्रेशन –</u>

जिन जिलों में डीलर प्वाइंट पर रजिस्ट्रेशन की इंट्री शून्य है उन जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारियों को इसकी इंट्री सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया ।

(अनुपालन–सभी जिला परिवहन पदाधिकारी)

10. ओ. ग्रास(OGRAS)-

सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि ओ. ग्रास. पोर्टल के माध्यम से ही चालान जेनरेट कर राशि बैंक में जमा की जाय एवं इसकी निरंतर जाँच की जाय ।

(अनुपालन-सभी जिला परिवहन पदाधिकारी)

11. <u>अंकेक्षण बिन्दु</u> -

जिला परिवहन कार्यालयों में कुल 1048 विभिन्न वर्षो के निरीक्षण प्रतिवेदन कंडिका/ड्राफट पारा/ लोकलेखा समिति से संबंधित कंडिकायें लंबित है । इसके लंबित रहने का कारण अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया जाना एवं प्रतिवेदन के साथ साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया जाना है । सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि 31 मार्च, 2018 तक सभी निरीक्षण प्रतिवेदन तथा ड्राफ्ट पारा का शत-प्रतिशत अनुपालन प्रतिवेदन साक्ष्य के साथ विभाग को उपलब्ध करा दिया जाय तथा लोक लेखा समिति की लंबित कंडिकाओं का अद्यतन अनुपालन प्रतिवेदन साक्ष्य सहित उपलब्ध कराया जाये । यह भी निदेश दिया गया कि सभी ड्राफ्ट पारा एवं लोक लेखा समिति की लंबित कंडिकाओं को विभाग के वेब साईट पर डाल दिया जाय । निदेश दिया गया कि 31 मार्च, 2018 तक सभी कंडिकाओं का अनुपालन साक्ष्य के साथ उपलब्ध करा दिया जाय ।

(अनुपालन-सभी संयुक्त आ0-सह-सचिव क्षे0परि0प्रा0/ सभी जिला परिवहन पदाधिकारी)

12. <u>सेवांत लाभ</u>-

लंबे समय तक सेवा निवृत कर्मियों का सेवांत लाभ रोककर रखना उचित नहीं है और यह स्थापित सरकारी निदेशों के विपरीत है । ज्ञातव्य है कि मुख्य सचिव के स्तर पर प्रत्येक माह इसकी समीक्षा की जाती है । 15 दिनों के भीतर सभी लंबित सेवांत लाभ का निष्पादन सुनिश्चित किया जाय । जिन कार्यालयों में 15 दिन से अधिक सेवांत लाभ के मामले लंबित रहेंगें उनके प्रधान सहायक वेतन प्राप्त नहीं करेंगे ।

(अनुपालन-सभी संयुक्त आ0-सह-सचिव क्षे0परि0प्रा0/ सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/ प्रशाखा-5)

13. <u>कोर्ट केस</u>-

सभी लंबित मामलों मे शपथपत्र 15 दिनों के भीतर दायर कर देने का निदेश दिया गया ।

(अनुपालन-सभी संयुक्त आ0-सह-सचिव क्षे0परि0प्रा0/ सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/ विधि कोषांग)

14. <u>कार्य बल</u>-

निदेश दिया गया कि सभी क्षेत्रीय कार्यालयों से आवश्यकता के अनुसार पद सृजन करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त किया जाय । जबतक कोई नई व्यवस्था नहीं हो जाती जिला पदाधिकारी से अनुरोध कर यथोचित कर्मी की प्रतिनियुक्ति करायी जाय । सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा परिवहन विभाग के क्षेत्रीय लिपिकों की सेवाएँ भी संविदा पर लिये जाने के लिए अनुमति प्राप्त हो गई है । अतः यदि कोई लिपिक योग्य हो और सेवा निवृत हो रहा हो तो उसकी सेवायें संविदा पर रखने हेतु विभाग को प्रस्ताव भेजेंगें ।

(अनुपालन-प्रशाखा-5 एवं प्रशाखा-7)

15. <u>माबाईल ऐप/ ई-चालान</u> -

माननीय मंत्री, परिवहन के द्वारा मोबाईल एप लॉन्च किया गया । निदेश दिया गया कि सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, मोटरवाहन निरीक्षक एवं प्रवर्तन अवर निरीक्षक इसे डाउनलोड करें और शमन एवं अन्य दैनिक प्रतिवेदन इस ऍप के माध्यम से मुख्यालय को उपलब्ध करावें ।

(अनुपालन-सभी संयुक्त आ0-सह-सचिव क्षे0परि0प्रा0/ सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/ सभी मोटरयान निरीक्षक/ सभी प्रर्वतन अवर निरीक्षक)

16. <u>एच.एस.आर.पी.</u>-

सभी संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि वे अपने क्षेत्रीधीन Vendor द्वारा किये जा रहे कार्यो का सतत् पर्यवेक्षण करें । यह सुनिश्चित किया जाय कि जिनसे एच.एस.आर.पी. प्लेट लगाने की राशि प्राप्त कर ली गई है उनका एच.एस.आर.पी. प्लेट तुरत लग जाये ।

(अनुपालन-सभी जिला परिवहन पदाधिकारी)

17. <u>पॉल्यूशन सेंटर</u>-

सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे पेट्रोल पंपों पर वाहन प्रदूषण जांच केन्द्र खोले जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त कर अनुशंसा के साथ विभाग को उपलब्ध करायें । साथ ही, सभी पेट्रोलियम कम्पनियों को बुलाकर इस कार्य के लिए यथोचित निर्देश देंगे ।

(अनुपालन-सभी जिला परिवहन पदाधिकारी)

18. <u>सड़क सुरक्षा समिति की बैठक</u>-

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि जिला सड़क सुरक्षा समिति की नियमित रूप से त्रैमासिक बैठक आहूत नहीं की जा रही है जो गंभीर चिंता का विषय है । इसपर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए सचिव महोदय ने सभी जिला पदाधिकारियों को जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आहूत करने का निदेश दिया ।

उक्त के संबंध में राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की तिथि का निर्धारण संचिका के माध्यम से ससमय जिला पदाधिकारी से प्राप्त करना सुनिश्चित करें एवं बैठक में सड़क सुरक्षा के सभी बिन्दुओं पर चर्चा करते हुए दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु आवश्यक लक्ष्य निर्धारित किया जाय ।

(अनुपालन-सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी)

19. <u>सड़क सुरक्षा के तहत अनिवार्य प्रतिवेदनों का प्रेषण -</u>

सभी जिला परिवहन पदाधिकारी इस बात से अवगत हैं कि थर्ड पार्टी इन्श्योरेंस एवं यातायात नियमों के उल्लंघन एवं चालान अनुज्ञप्ति के निलंबन/ रद्दीकरण से संबंधित त्रैमासिक प्रतिवेदन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सड़क सुरक्षा पर गठित कमिटि को प्रत्येक तीन माह पर समेकित प्रतिवेदन भेजा जाना है । अधिसंख्य जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा बार-बार स्मारित किये जाने के बाद भी ससमय प्रतिवेदन नहीं भेजा जाता है । सड़क सुरक्षा के तहत अनिवार्य प्रतिवेदनों को नहीं भेजने वाले

जिला परिवहन पदाधिकारियों को सचिव महोदय द्वारा निदेशित किया गया कि प्रासंगिक त्रैमासिक प्रतिवेदन तीन दिनों के अंदर अविलंब भेजें ।

(अनुपालन–सभी जिला परिवहन पदाधिकारी)

20. <u>ब्लैक स्पॉट की पहचान</u>–

सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि संबंधित पुलिस पदाधिकारियों से संपर्क स्थापित कर ब्लैक स्पॉट/ दुर्घटना स्थलों की पहचान कर संबंधित सड़कों के लिए जिम्मेवार जिला स्तरीय विभागीय पदाधिकारियों के माध्यम से जांच कराकर दुर्घटना के कारणों का परिमार्जन कराना सुनिश्चित करेंगे । साथ-ही-साथ आवश्यकतानुसार आदेशात्मक, सचेतक एवं सूचनात्मक सड़क चिन्ह () लगवाना सुनिश्चित करेंगे ।

(अनुपालन–सभी जिला परिवहन पदाधिकारी)

21. <u>परावर्त्तक टेप</u>–

संप्रति विभाग द्वारा तीन कम्पनियों को Reflective टेप लगाने हेतु प्राधिकृत किया गया है । आम सूचना के माध्यम से निर्धारित मानकों वाले टाईप अप्रूव्ड कम्पनियों से आवेदन की मांग की गई है ताकि नियमानुसार उन्हें भी प्राधिकृत किया जा सकं । सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को सचिव महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि सभी प्रकार के वैसे वाहन जिनमें परावर्त्तक टेप के लगाये जाने की अनिवार्यता है को अभियान चलाकर लगवाना सुनिश्चित करें एवं विहित प्रपत्र में मासिक प्रतिवेदन विभाग को देना सुनिश्चित करें । दुरूस्ती प्रमाण पत्र निर्गत करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायगा कि वाहनों में परावर्त्तक टेप लगा है अथवा नही ।

(अनु0– सभी जिला परिवहन पदाधिकारी)

22. <u>स्पीड गवर्नर</u>–

बैठक में सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे माह मार्च के अंत तक जिला मुख्यालय के सभी विद्यालयों के स्कूल बसों में स्पीड गवर्नर लगवाना सुनिश्चित करें तांकि स्कूल बसों से परिवहन करने वाले बच्चों की सुरक्षा हो सके । साथ ही साथ वैसे पुराने व्यवसायिक वाहन जिनमें स्पीड गवर्नर नहीं लगा है को स्पीड गवर्नर लगवाने के बाद ही दुरूस्ती प्रमाण पत्र निर्गत करना सुनिश्चित करेंगें ।

(अनु0– सभी जिला परिवहन पदाधिकारी एवं मोटरयान निरीक्षक)

23. <u>नावों का निबंधन</u>–

कई बाढ़ प्रवण जिलों यथा बेतिया, भागलपुर, दरभंगा, गोपालगंज, खगड़िया में नावों के निबंधन की स्थिति दयनीय है । अतएव बाढ़ प्रवण जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी अभियान चला कर अर्हता पूरी करने वाली नावों का निबंधन करना सुनिश्चित करते हुए संधारित करेंगे ताकि बाढ़ के समय इन निबंधित नावों को सहायता कार्य में लगया जा सके ।

(अनु0– सभी जिला परिवहन पदाधिकारी)

धन्यबाद के साथ बैठक समाप्त की गई ।

ह0/-

उप सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 03/प्र0-सांख्यिकी (विविध)-22/2012 पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार/सभी मोटरयान निरीक्षक, बिहार/प्रवर्तन तंत्र के सभी पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

उप सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 03/प्र0-सांख्यिकी (विविध)-22/2012 पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- परिवहन विभाग (मुख्यालय) में पदस्थापित सभी पदाधिकारी/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/राज्य परिवहन आयुक्त के आप्त सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रशाखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

उप सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 03/प्र0-सांख्यिकी (विविध)-22/2012 2146 पटना, दिनांक- 27.03.18

प्रतिलिपि- आई0 टी0 मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सभी संबंधितों को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

उप सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।